N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0063 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/03/2025 19:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:40 बजे **Time To (समय तक):** 11:30 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/03/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/03/2025 19:53:14 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 1.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** S.L.B.S. B.ED. COLLEGE, PAVOTA C ROAD JODHPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** POOJA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JANVRILAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM VISHNU KI DHANI,CHANDELAV, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM VISHNU KI DHANI,CHANDELAV, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MINAKSHI CHAUDHARY AND OTHERS		पत्नी:BRAJLAL BHADU	1. 31,RAJIV NAGAR,MAHAMANDIR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं पूजा पुत्री श्री जंवरी लाल जाति विश्नोई उम्र 24 वर्ष निवासी विष्णु की ढाणी चांदेलाव जोधपुर की रहने वाली हूं। मैं एसएलबीएस कॉलेज जोधपुर से बीएड कर रही हूं। मैं बीएड प्रथम वर्ष में अध्यनरत हूं। मैंने नियमानुसार समस्त शुल्क कॉलेज में जमा करवा दिया था तथा एक माह के इन्टर्नशिप हेतु विष्णु की ढाणी राजकीय अपर विद्यालय आवंटित किया गया है। जिससे इन्टर्नशिप हेतु रिलिविंग लेटर बीएड कॉलेज द्वारा दिया जाता है। मैं मेरा इन्टर्नशिप हेतु रिलिविंग लेटर लेने दिनांक 18.03.2025 को एसएलबीएस कॉलेज जोधपुर गई थी। जिस पर मेरी क्लास टीचर मीनाक्षी मैडम ने कॉलेज में उपस्थिति कम बताकर मेरे 15000/-रूपये बतौर रिश्वत के मांगे तथा कहा कि अगर आप 15000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) नहीं दोंगे तो मैं आपको मेरी कॉलेज से इन्टर्नशिप हेतु रिलिविंग लेटर नहीं दुंगी तथा मुझे कहा कि आप या आपके भाई वगैराह को भेज 15000 रूपयें देकर भेज देना, मै रिलीविंग लेटर दे दूंगी। मेरे काम के लिए क्लास टीचर मीनाक्षी मैडम कों 15000 रूपयें की रिश्वत नही देना चाहती हूं तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरी कॉलेज व मीनाक्षी मैडम से कोई रंजिश नही है तथा मेरी कॉलेज शुल्क या मीनाक्षी मैडम से लेनदेन बाकी नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करे। मै मेरे आधार कार्ड व स्कूल आंवटन पत्र की प्रति पेश कर रही हूं। दिनांक 19.03.2025 भवदीय एसडी/ (पुजा) [redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 19.03.2025 समय 10.40 ए. एम. उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट सुश्री पूजा पुत्री श्री जंवरीलाल जाति बिश्नोई, उम्र 24 वर्ष, निवासी विष्णु की ढाणी, चांदेलाव जोधपुर नें आज दिनांक 19/03/2025 को समय 10.40 ए.एम. पर अपनें भाई श्री विकास धायल के साथ कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। दरियाफ्त पर पूजा नें बताया कि कल दिनांक 18.03.25 को जब मै एस एल बी एस बी.एड. कॉलेज जोधपुर में मेरा इंटर्नशिप के लिए रिलीविंग आर्डर लेने गयी तों मेरी क्लास टीचर मीनाक्षी मैडम नें मेरी उपस्थिति कम बताकर तथा रिलीविंग आर्डर देनें के नाम पर 15000/(रूपयें पन्द्रह हजार) की रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा कि कल तुम्हारें भाई वगैराह किसी को रूपयें देकर भेज देना तभी हाथों हाथ रिलींविंग आर्डर भी दे दूंगी। मैनें घर जाकर मेरे भाई विकास को बताया तों उसने इसके विरूद्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में शिकायत कर कार्यवाही करनें की बात कही, अतः मै आज अपनें भाई विकास के साथ आपके कार्यालय में उपस्थित हुई हुं। मुझे मैडम से बातचीत करनें एवं कार्यवाही करवानें में थोडी घबराहट होती है और इतना आत्म विश्वास नही है, अतः मेरी तरफ से मेरे भाई विकास कों मैडम सें बातचीत करनें एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की कार्यवाही करनें के लिए अधिकृत करती हुं। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पाया जानें पर मांग सत्यापन कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। एसडी/ 19/03/2025 (चक्रवर्ती सिंह राठौड) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर (राज.) दिनांक 19.03.2025 समय 10.50 ए.एम. पर परिवादीया सुश्री पूजा की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। तलब कर परिवादीया सुश्री पूजा व उसके भाई विकास धायल का सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस सें परिचय करवाया गया। परिचय करवानें के बाद सुश्री पूजा की रिपोर्ट पर अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही करवानें हेतु परिवादीया सुश्री पूजा की मूल रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को सुपर्द किये गये। सुश्री पूजा व उसके भाई विकास धायल को भी श्रीमति सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु सुपर्द किया गया। समय 10.50 ए.एम. पर परिवादीया सुश्री पूजा व उसके भाई श्री विकास धायल को मन् पुलिस निरीक्षक सुनीता कुमारी मय रिपोर्ट व दस्तावेज के अपने कार्यालय कक्ष में लेकर आयी। सुश्री पूजा से रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के बारे में दरियाफ्त की तो उसने लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का सही होना बताया व रिपोर्ट हस्तलिखित स्वयं की होना बताया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संधोधित 2018) का होना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। परिवादीया सुश्री पूजा नें मन् निरीक्षक पुलिस कों बताया कि मुझे मैडम से बातचीत करनें एवं कार्यवाही करवानें में थोडी घबराहट होती है और इतना आत्म विश्वास नही है, अतः मेरी तरफ से मेरे भाई विकास कों मैडम सें बातचीत करनें एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों की कार्यवाही करनें के लिए अधिकृत करती हुं। जिस पर श्री विकास धायल नें भी मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु अपनी सहमति दी। जिस पर कार्यालय के श्री भूर सिंह हैड कानि.

नम्बर 91 को तलब कर उसका परिचय परिवादीया सुश्री पूजा व उसके भाई श्री विकास धायल से करवाया गया। श्री विकास धायल के मोबाईल नम्बर श्री भूरसिंह हैड कानि. को उपलब्ध करवाये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादीया के भाई श्री विकास धायल को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समझाईश की गई। समय 11.10 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर नया मेमोरी कार्ड लगाकर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को सुपर्द कर हिदायत दी गई कि आप वक्त मांग सत्यापन वार्ता के समय परिवादिया पूजा के भाई श्री विकास धायल को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑन कर उसको देवें तथा परिवादिया पूजा के भाई श्री विकास धायल के साथ जाकर परिवादिया पूजा के भाई श्री विकास धायल व संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर लावे। परिवादिया पूजा के भाई श्री विकास धायल के साथ श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सहित स्वंय की मोटर साईकिल से एवं परिवादिया पूजा के भाई श्री विकास धायल को स्वयं की स्कूटी से एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज के पावटा सी रोड स्थित कार्यालय के लिए रवाना किया गया। वक्त 11.30 ए.एम. पर श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 व परिवादिया का भाई श्री विकास धायल कार्यालय हाजा आये व श्री भूरसिंह हैड कानि. नं. 91 ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ सुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द कर बताया कि मै व परिवादीया सुश्री पूजा के भाई श्री विकास धायल सहित आपके निर्देशानुसार एस.एल.बी.एस बी.एड. कॉलेज के पावटा सी रोड स्थित कार्यालय पहुचे। जहां पर मैनें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके श्री विकास धायल को दिया था। और मै कॉलेज के आसपास ही गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छिपा करके खडा रहा। कुछ समय बाद श्री विकास धायल वापिस मेरे पास आया। मैने डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादीया सुश्री पूजा के भाई श्री विकास धायल ने मुझे बताया कि मेरे व मीनाक्षी मैडम से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हुई है। जिन्होनें मेरे से 15000 रूपयें रिश्वत मेरी बहन पूजा कों इन्टर्नशीप हेतु स्कूल आंवटन का रिलीविग लेटर देनें की एवज में मांग की है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादीया के भाई श्री विकास धायल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछा तों श्री विकास नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै और भूरसिंह एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज पहुचे। जहां पर श्री भूरसिंह नें मुझे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करके सुपर्द क्रिया गया। मै एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज में स्टॉफ रूम में गया तों श्रीमति मीनाक्षी मैडम वहां पर मौजूद मिली। जिस पर मैनें मेरी बहन सुश्री पूजा के रिलीविंग लेटर हेतु बातचीत की तों श्रीमति मीनाक्षी मैडम द्वारा मेरी बहन सुश्री पूजा को रिलीविंग लेटर देने की एवज में मेरे से 15000 रूपयें रिवश्त राशि की मांग की गई। रिश्वत राशि कल दिनांक 20.03.2025 कों लानें हेतु कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादिया के भाई श्री विकास धायल से आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी कक्षा अध्यापिका एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज के द्वारा सुश्री पूजा के इन्टर्नशीप हेतु रिलीविंग लेटर देनें की एवज में 15000 रूपयें रिश्वत मांगने की एवं परिवादीया के भाई श्री विकास धायल के कथनों की पुष्टि हुई। जिस पर दिनांक 20.03.2025 को ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा सुरक्षित में रखा तथा परिवादिया के भाई श्री विकास धायल को आरोपिया द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि राशि 15000/-रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 20.03.2025 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर लेकर कार्यालय हाजा में आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर कार्यालय में उपस्थित उनकी बहिन पूजा के साथ रूखस्त किया। वक्त 12.45 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र. गवाह भिजवाने हेतु श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम पत्रांक 740 दिनांक 19.03.2025 जारी कर स्वतन्त्र गवाहान लाने हेतु श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 को तहरीर सुपुर्द कर जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री प्रेमसिंह के जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के लिए रवाना किया गया। वक्त 02.00 पी.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर गये श्री भीमसिंह कानि. नं. 446 मय चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 के दो कार्मिक सहित हाजिर आये जिस पर उपस्थित आये कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी अपना श्री जीवनसिंह पुत्र श्री हिंगलाजदान जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी नं. 33, भगवती नगर, बालसमन्द पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर हाल भू अभिलेख निरीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं.[redacted] व श्री निकेश पुत्र श्री सकाराम जाति जटिया उम्र 33 वर्ष निवासी मकान नं. 50, रूपनगर माता का थान पुलिस थाना माता का थान जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। ताबाद उक्त दोनो कार्मिकों ब्यूरो में गोपनीय टेªप कार्यवाही हेतु बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर दिनांक 20.03.2025 को प्रातः 09.30 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया। वक्त 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादिया सुश्री पूजा व उसका भाई श्री विकास धायल कार्यालय हाजा में मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये तथा श्री विकास धायल ने मन् निरीक्षक पुलिस कों बताया कि आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी मैडम एस.एल.बी.एस. बी.एड कॉलेज जोधपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/-रूपये की व्यवस्था कर मैं साथ लेकर आया हूं। जिस पर स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने

पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 20.03.2025 वक्त 10.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा कार्मिक श्री जीवनसिंह भू अभिलेख निरीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व श्री निकेश कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये। जिनका परिचय पूर्व में कार्यालय में मौजुद परिवादिया पूजा व उसके भाई श्री विकास धायल से करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादिया पूजा द्वारा दिनांक 19.03.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादिया के भाई श्री विकास धायल एवं आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी मैडम एस.एल.बी.एस. बी.एड कॉलेज जोधपुर के मध्य दिनांक 19.03.2025 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड के मुख्य मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादिया की रिपोर्ट पढकर परिवादिया एवं उसके भाई श्री विकास धायल से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक महमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। ताबाद दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर परिवादिया पूजा द्वारा प्रस्तुत हस्त लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये। वक्त 10.40 ए.एम. पर एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर से पूर्व से तलब शुदा श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 हाजिर चौकी आये। जिनकों ट्रेप कार्यवाही में महिला आरोपी होने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर को जरिये मोबाईल निवेदन कर तलब किया गया था। वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादिया सुश्री पूजा के भाई श्री विकास धायल पुत्र श्री जवरीलाल जाति विश्नोई उम्र 27 वर्ष निवासी विष्णु की ढाणी, चान्देलाव, पुलिस थाना कापरड़ा जिला जोधपुर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी मैडम एस.एल. बी.एस. बी.एड कॉलेज जोधपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि 15000/-रूपये प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादिया के भाई श्री विकास धायल ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 30 नोट कुल राशि 15000/-रूपये मन् निरीक्षक को पेश किये। उक्त नोटों के नंबर फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वति राशि में अंकित कर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आये तथा उक्त 15000/- रूपये के नोटो पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से पुराने अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादिया के भाई श्री विकास धायल की जामा तलाशी गवाह श्री निकेश से लिवाई जाकर परिवादिया के भाई श्री विकास धायल के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15000/- रूपये जो आरोपिया श्रीमती मिनाक्षी एस.एल.बी.एस. बी.एड कॉलेज जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में गवाहान के समक्ष श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से रखवाये जाकर परिवादिया के भाई श्री विकास धायल को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपिया द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करें साथ ही परिवादी को यह भी हिदायत दी गई की आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर कहा रखती है उसका ध्यान रखे, साथ ही यह भी हिदायत दी गई कि आरोपिया द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेरकर या मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना मिस कॉल या कॉल करके करें। तत्पश्चात कार्यालय के वाटर कुलर से एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादिया व उसके भाई श्री विकास धायल को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपिया द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर गिलास को नष्ट करवाया जाकर तथा जिस पुराने अखवार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वालें श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस से कार्यालय हाजा के मालखाना प्रभारी को देकर मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व आरोपिया के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात् परिवादिया के भाई श्री विकास धायल को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं मन् पुलिस निरीक्षक सुनिता कुमारी के पास विभागीय परिचय पत्र व आकस्मिक खर्च के 2000/- रूपये रहने दिये गये, इसके अलावा किसी के पास कोई

आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादिया के भाई श्री विकास धायल सहित समस्त ट्रेपपार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को हिदायत देकर कार्यालय में ही उपस्थित रहने हेतु छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही फर्द पेश्कशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 11.15 ए.एम. पर मन् सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89, परिवादीया का भाई श्री विकास धायल के निजी वाहन से, श्री किशन सिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र गवाह श्री जीवन सिंह एवं निकेष, श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172, श्री भीम सिंह कानि. नम्बर 446 तथा श्री भूर सिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 निजी स्कूटी से एवं श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नम्बर 29 एवं श्री प्रेमसिंह कानि. चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 से टेªप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादिया के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से एस. एल.बी.एस. बी.एड कॉलेज पावटा सी रोड जोधपुर की तरफ रवाना हुए। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वक्त 11.25 ए.एम..पर पावटा सी रोड के गली नम्बर 06, शक्तिनगर के पास पहुंचे। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी का भाई श्री विकास धायल को श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादीया का भाई श्री विकास धायल को सुपर्द कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज के लिए रवाना किया गया एवं शेष ब्यूरों जाब्ता कों एस.एल.बी.एस कॉलेज के आसपास गोपनीय रूप सें खडा करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस, श्रीमति सीता सिंवर महिला कानि. एवं श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 के रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार में कॉलेज के सामनें ही खडे हो गये। समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादीया का भाई श्री विकास धायल नें अपनें मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर रिश्वती राशि लेन देन होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस, श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 व श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172 के सहित कॉलेज में प्रवेष हुई और ब्यूरों जाब्ता को रिष्वत राषि लेन देन का गोपनीय ईशारा किया गया। शेष ब्यूरों जाब्ता भी कॉलेज में प्रवेश हुआ। इसके बाद ब्यूरों जाब्ता सहित मन् निरीक्षक पुलिस बीएड कॉलेज के स्टाफ रूम में प्रवेश हुई। जहां पर परिवादीया के भाई श्री विकास धायल कॉलेज के स्टाफ रूम के अन्दर उपस्थित मिला। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विकास धायल द्वारा ईशारा कर बताया कि ये श्रीमति मीनाक्षी कक्षा अध्यापिका है, जिन्होनें अभी अभी मेरे से 15,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपने पास खडी अन्य महिला स्टाफ को गिननें के लिए सुपर्द किये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 से परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त करवाकर स्वीच ऑफ करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त महिला को ब्यूरों स्टाफ श्रीमति मधुमति हैड कानि. व श्रीमति सीता महिला कानि. की सहायता से दस्तयाब किया गया। कार्यवाही की विडीयो रिकॉर्डिंग मोबाईल फोन से करनें हेतु श्री भीमसिंह कानि. को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादीया का भाई श्री विकास धायल के रूबरू व ब्यूरो स्टाफ के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमति मीनाक्षी से पूछा कि आपनें पैसे किस बाबत लिये तों उन्होने बताया कि मैनें कोई पैसा नही लिया है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें श्रीमति मीनाक्षी सें पुनः पूछा तों कहा कि मै जिम्मेदार नही हू। पैसें तो मैनेजमेन्ट के लिए लिये है। इसके बाद श्रीमति मीनाक्षी नें कहा कि पैसे तो सुमन ने लिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुमन से पूछा कि आपने पैसे किस चीज के लिए लिये है। जिस पर सुमन नें कहा कि मुझे तो काउन्ट करनें के लिए दिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें श्रीमति मीनाक्षी से पूछा तो उसने बताया कि मैनें मेरे लिये थोडे ही लिये है। मैनेजमेन्ट के लिए लिये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें मैनेजमेन्ट से बात करनें के लिए मीनाक्षी को कहा तों मीनाक्षी नें कहा कि मैनेजमेन्ट फोन नही उठा रहा है। इसके बाद श्रीमति मीनाक्षी नें कहा कि प्रियका गोदारा है जो कॉलेज की मालिक है। इसके बाद मीनाक्षी नें कहा कि हमें तो जो कहा जायेगा वो तो करना पडेगा। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादीया के भाई श्री विकास धायल सें पूछा कि आपसे किस चीज के पैसे लिये। अटेण्डेन्स कम के, इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादीया का भाई श्री विकास धायल से पूछा कि किसकी अटेण्डेन्स के तो परिवादीया के भाई श्री विकास नें बताया कि मेरी बहन पूजा के, इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादीया का भाई श्री विकास धायल सें पूछा कि आपसे पैसे किसनें मांगे। तो श्री विकास धायल नें कहा कि मीनाक्षी मैडम नें, इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादीया का भाई श्री विकास धायल से पूछा कि कितनें मांगे तों विकास धायल नें कहा कि 15000 रूपयें, इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें पूछा कि अभी आपनें कितनें दिये। जिस पर विकास धायल नें कहा कि पन्द्रह, इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस नें पूछा कि रूपयें किसने गिने। जिस पर परिवादीया के भाई श्री विकास नें कहा कि मीनाक्षी मैडम नें पहले रूपयें काउन्ट किये इसके बाद इन मैडम को दिये कि आप एक बार इनकों काउन्ट करों। इसके बाद श्रीमति मीनाक्षी द्वारा अपनें फोन सें बी.एड. कॉलेज की प्रिसीपल को फोन मिलाया पर उन्होनें रिसीव नही किया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीया का भाई श्री विकास धायल वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू

सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री श्रीमति मीनाक्षी चौधरी पत्नि श्री ब्रजलाल भादू जाति जाट उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 31, राजीव नगर, महामन्दिर जोधपुर हाल लेक्चरर एवं कक्षा अध्यापिका, एस.एल.बी.एस. बी. एड. कॉलेज जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप बॉक्स में सें दो प्लास्टिक के गिलास में बोतल से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों प्लास्टिक गिलासों में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। दूसरी गिलास के तैयार घोल में आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीया का भाई श्री विकास धायल वं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू श्रीमति सुमन देवी पत्नि श्री दीपक कंकर जाति सैन उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 273, लक्ष्मीनगर, जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा टेªप बॉक्स में सें दो प्लास्टिक के गिलास में पानी की बोतल से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों प्लास्टिक गिलासों में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में श्रीमति सुमन के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच. -2 अंकित किया गया। दूसरी गिलास के तैयार घोल में श्रीमति सुमन के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा रिश्वत राशि परिवादीया के भाई श्री विकास धायल से 15000 रूपयें प्राप्त कर श्रीमति सुमन को गिननें हेतु दी गई थी। श्रीमति सुमन द्वारा गिन कर पुनः श्रीमति मीनाक्षी को दी गई थी। श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा उक्त रिश्वत राशि एक डायरी में रखी गई थी। फर्द पेश्कशी स्वतन्त्र गवाह श्री जीवनं सिंह को सुपर्द कर रिश्वती राशि डायरी से निकालकर श्री निकेष को सुपर्द कर नोटों को बोल बोल कर मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकशी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के 30 नोट होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- 1500 रूपये का एक नोट नम्बर4KT 478603,2500 रूपये का एंक नोट नम्बर3QV 467686, 3500 रूपये का एक नोट नम्बर9QC 852708, 4 500 रूपये का एक नोट 0DK 446859, 5 500 रूपये का एक नोट 3CW 256679, 6 500 रूपये का एक नोट 0RC 157392, 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर8MC 856138, 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर7UF 697910, 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर5ML 753631,10 500 रूपये का एक नोट नम्बर3NN 452030, 11 500 रूपये का एक नोट नम्बर9KE 610686, 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर1TS 767551, 13 500 रूपये का एक नोट नम्बर2GF 351761, 14 500 रूपये का एक नोट नम्बर7WD 488204, 15 500 रूपये का एक नोट नम्बर2KQ 600247, 16 500 रूपये का एक नोट नम्बर4LV 653644, 17 500 रूपये का एक नोट नम्बर5MK 492557, 18 500 रूपये का एक नोट नम्बर0LC 941583, 19 500 रूपये का एक नोट नम्बर2FS 697759, 20 500 रूपये का एक नोट नम्बर9EU 798843, 21 500 रूपये का एक नोट7MV 188535, 22 500 रूपये का एक नोट नम्बर2QE 091203, 23 500 रूपये का एक नोट1EF 265346, 24 500 रूपये का एक नोट नम्बर1DD 022381, 25 500 रूपये का एक नोट3GS 303699, 26 500 रूपये का एक नोट5DV 663811, 27 500 रूपये का एक नोट नम्बर5EA 468251, 28 500 रूपये का एक नोट नम्बर0WQ 566266, 29 500 रूपये का एक नोट नम्बर7BM 302260, 30 500 रूपये का एक नोट6HW 177258 उक्त भारतीय मुद्रा 15,000/-को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। इसके बाद जिस डायरी में पेज संख्या 100 व 101 के बीच राशि मिली थी। उक्त डायरी पर पेज संख्या 100 व 101 पर परिवादीया के भाई श्री विकास धायल, दोनों स्वतन्त्र. गवाह व मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर डायरी को शामिल रंनिग नोट किया गया। डायरी कागज की होनें के कारण धोवन लिया जाना संभव नही होनें के कारण उक्त डायरी का धोवन इस कारण नही लिया गया। आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी की जामा तलाषी गवाह श्रीमति मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 सें

लिरवाई गई तों आरोपीया के कब्जे से एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर (1) [redacted] (2) [redacted] व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] जियो कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपीया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी के पास से कोई वस्तु, राषि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया। परिवादीया का भाई श्री विकास धायल को आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा रिष्वत राषि 15000 रूपयें प्राप्त करनें के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री बी.एड. कॉलेज जोधपुर द्वारा जारी कॉलेज रिलीविग लेटर दिया गया था। जिस पर प्रिसीपल के दिनांक 18.03.2025 को हस्ताक्षर किये हुए है। रिलीविग लेटर पर मेरी बहन से सम्बन्धित जानकारी मेरे से मैडम मीनाक्षी चौधरी द्वारा ही रिष्वत राषि प्राप्त करनें के बाद में ही भरवाई गई थी। उक्त रिलीविग लेटर को परिवादी सुश्री पूजा को स्कूल में आवष्यकता होनें के कारण इसकी एक फोटो प्रति करवाकर फोटो प्रति पर परिवादीया के भाई श्री विकास धायल, दोनों स्वतन्त्र गवाह एवं मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कर षामिल रनिग नोट किया गया। परिवादी श्री विकास धायल की बहन श्री पूजा द्वारा एस. एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा है, उक्त छात्रा कों उपस्थिति कम होनें का भय दिखाकर व इन्टर्नषीप हेतु रिलीविंग लेटर देनें की एवज में उक्त बी.एड. कॉलेज की कक्षा अध्यापिका व लेक्चरर श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा दिनांक 18.03.2025 कों सुश्री पूजा को 15000 रूपयें रिश्वती राशि लेकर आनें का कहना, दिनांक 19.03.2025 को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल सें उपस्थिति कम होनें का भय दिखाकर व इन्टर्नषीप हेतु रिलीविंग लेटर देनें की एवज में 15000 रूपयें की मांग करना, आज दिनांक 20.03.2025 कों परिवादी श्री विकास धायल सें 15000 रूपयें रिष्वत राषि लेते हुए रंगे हाथों गिरप्तार किया गया। रिष्वत राषि प्राप्त करनें के बाद श्रीमति मीनाक्षी चौधरी कक्षा अध्यापिका व लेक्चरर द्वारा पास मे खडी श्रीमति सुमन को राशि गिननें हेतु दी गई। जिस पर श्रीमति सुमन द्वारा राषि गिन कर पुनः श्रीमति मीनाक्षी चौधरी को दी गई। श्रीमति सुमन को उक्त रिश्वती राशि की जानकारी होना नही पाया गया। जिस पर उक्त रिश्वती राशि लेन देन में सुमन की भूमिका संदिग्ध नही पाई गई। राशि चूंकि सुमन को उसकी कार्यालय स्टाफ द्वारा गिननें हेतु दी गई थी, जो उनके द्वारा गिनकर पुनः दे दी गई थी। इस कारण सुमन के दोनों हाथों का धोवन लिया गया था। आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी पत्नि श्री ब्रजलाल भादू जाति जाट उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 30, राजीव नगर, महामन्दिर जोधपुर हाल लेक्चरर, कक्षा अध्यापिका, एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर द्वारा परिवादीया सुश्री पूजा जो एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज में प्रथम वर्श की छात्रा है, उक्त छात्रा की उपस्थिति पूरी दिखानें व इन्टर्नषीप हेतु रिलीविंग लेटर जारी करनें की एवज में दिनांक 19.03.2025 कों 15,000 रूपयें रिश्वती राशि की मांग करना, आज दिनांक 20.03.2025 को परिवादीया सुश्री पूजा के सगे भाई श्री विकास धायल से 15,000 रूपये प्राप्त कर गिन कर अपनें साथ कार्यालय स्टाफ रूम में खडी श्रीमति सुमन को गिननें हेतु देना, श्रीमती सुमन द्वारा राशि गिन कर पुनः श्रीमति मीनाक्षी को सुपर्द करना, एवं आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व गहरा गुलाबी प्राप्त होना, वक्त रिश्वत राशि लेन देन आरोपीया के पास एक डायरी से बरामद होना पाये जानें पर अन्तर्गत अपराध धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी पत्नि श्री ब्रजलाल भादू जाति जाट उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 30, राजीव नगर, महामन्दिर जोधपुर हाल लेक्चरर, कक्षा अध्यापिका, एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमति सीता सिंवर महिला कानि. नम्बर 172 कों रात्रि में महिला आरोपी की सुरक्षा हेतु नियुक्त करनें पर आवश्यकत हिदायत के साथ ट्रेप कार्यवाही से रूखस्त किया गया। वक्त 05.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी पत्नी श्री ब्रजलाल भादू जाति जाट उम्र 46 वर्श निवासी गांव बाड़ा कला, खेड़ी सालवा भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल निवासी 31 राजीव नगर महामन्दिर जोधपुर हाल लेक्चरर एस.एल.बी. एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके कहेनुसार मौके पर उपस्थित उनके पति श्री ब्रजलाल भादू को दी गई। वक्त 05.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादिया के भाई श्री विकास धायल की निशादेही पर व रूबरू स्वतन्त्र गवाहान श्री जीवनसिंह एवं श्री निकेष के घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर षामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 06.15 पी.एम. पर इस समय मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस, श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस, श्री किषनसिंह उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जीवनसिंह, श्री निकेष मय परिवादिया का भाई श्री विकास धायल मय ब्यूरो जाब्ता श्री भंवरलाल हैड कानि. नं. 100, श्री स्वरूपचन्द हैड कानि. नं. 29, श्री भूरसिंह हैड कानि.नं. 91, श्रीमती मधुमति हैड कानि. नं. 89, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री भीमसिंह कानि. नं. 446, मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर मय दो निजी वाहन मय एक सरकारी वाहन टवेरा नं. आर जे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिंह कानि. 535 एवं निजी स्कूटी के ब्यूरो के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय को डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी के प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली, बरामद शुदा रिश्वत राशि 15000/- रूपये सील चिट शुदा, आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी के दोनो हाथों के धोवन

प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2 व श्रीमती सुमन देवी के दोनो हाथों के धोवन प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान डायरी, आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित खुली हालत के एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज पावटा सी रोड जोधपुर से एसीबी चौकी जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 06.25 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना मन् सुनिता कुमारी निरीक्षक पुलिस समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंची। प्रकरण से संबंधित प्रादर्श बरामद शुदा रिश्वत राशि 15000/- रूपये सील चिट शुदा, आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी के दोनो हाथों के धोवन प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल.एच. 2 व श्रीमती सुमन देवी के दोनो हाथों के धोवन प्रादर्श आर.एच. 1, आर. एच. 2, एल.एच.1, एल. एच. 2, रिश्वत राशि बरामद स्थान डायरी, आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम सहित खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉडर के मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 19.03.2025 को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी. एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 20.03.2025 को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं अन्य वार्ताए रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अलमारी में रखा। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादिया के भाई श्री विकास धायल को दिनांक 21.03.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 06.40 पी.एम. पर आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण महिला पुलिस थाना जोधपुर पूर्व की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी महिला पुलिस थाना जोधपुर पूर्व के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्रीमती मधुमति हैड कानि. नं. 89 मय एवं श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 के मय निजी वाहन के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी के साथ रवाना हुई। वक्त 08.00 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता के पावटा सैटेलाइट अस्पताल पहुंच आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की। ताबाद मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के वहां से रवाना होकर महिला पुलिस थाना जोधपुर पूर्व पहुंच आरोपिया श्रीमती मीना चौधरी को महिला पुलिस थाना जोधपुर पूर्व में हवालात में जमा करवा प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई, महिला पुलिस थाना जोधपुर पूर्व पर आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी की निगरानी हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीमती सीता सिंवर महिला कानि. नं. 172 को मामुर कर हाजिर एसीबी चौकी आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद मन् निरीक्षक पुलिस ने षामिल रंनिग नोट की । दिनांक 21.03.2025 वक्त 10.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री जीवनसिंह भू अभिलेख निरीक्षक व श्री निकेष कनिश्ठ अभियन्ता व परिवादिया का भाई श्री विकास धायल कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 10.15 ए. एम. पर परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 19.03.2025 को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के भाई श्री विकास धायल की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46.द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादीया के भाई श्री विकास धायल के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादिया के भाई श्री विकास धायल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर की होना बताया। उक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। उक्त दोनों सीडीयों को खुली हालात में रहने दी गई। उस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक आरोपीया को देने के लिए तैयार की गई है। उक्त दोनो सीडीयो को खुली हालत में ही मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 20.03.2025 को परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं

परिवादिया के भाई श्री विकास धायल की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 के .द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादीया के भाई श्री विकास धायल के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादिया के भाई श्री विकास धायल ने अपनी व दुसरी आवाज आरोपिया श्रीमती मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर की होना बताया। उक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडीयां तैयार की गई। उक्त दोनों सीडीयों को खुली हालात में रहने दी गई। उस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खुली हालात मे रखी दोनों सीडीयों को एक अनुसंधान अधिकारी के लिए व एक आरोपी को देने के लिए तैयार की गई है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन व लेन देन के अलावा तीन अन्य वार्ता रिकॉर्ड है, जो दिनांक 20.03.2025 को रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान आरोपीया के मोबाईल फोन को स्पीकर ऑन करवाकर बी.एड. कॉलेज की प्रिसीपल श्रीमति अर्चना भगासरा को कॉल करवाया गया था, परन्तु उनके द्वारा फोन नही उठाया था, वार्ता मे कोई बातचीत संदिग्ध प्रिसीपल श्रीमति अर्चना भगासरा से नही हुई है, इस कारण उक्त तीन वार्ताओं की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार नही की गई है। रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिष्वत राषि लेन-देने वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद कागज के लिफाफे में डालकर एवं लिफाफे को कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली की सिलाई कर शील्ड कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के कपडे की थैली पर हस्ताक्षर करवाकर मूल मेमोरी कार्ड शील्ड शुदा एवं दोनों सीडी जो खुली हालात में है, कों श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 12.15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की श्री छैलाराम कानि. के मोबाईल फोन से श्री भीमसिंह कानि. से विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री स्वरूप चन्द हैड कानि. नम्बर 29 को जमा मालखाना की गई। वक्त 01.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे परिवादिया के भाई श्री विकास धायल व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता नहीं होने पर कार्यालय से रूखस्त किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादीया सुश्री पूजा की हस्तलिखित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 19.03.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के हैड कानि. श्री भूरसिंह नम्बर 91 को परिवादीया सुश्री पूजा के भाई श्री विकास धायल के साथ एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज पावटा सी रोड जोधपुर भिजवाकर परिवादीया के भाई श्री विकास धायल व आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एवं कक्षा अध्यापिका एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर के मध्य करवाया गया तों आरोपीया श्रीमति मीनाक्षी चौधरी लेक्चरर एव कक्षा अध्यापिका एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर द्वारा परिवादीया सुश्री पूजा कों बी.एड. प्रथम वर्ष में इन्टर्नशीप हेतु रिलीविंग लेटर देनें की एवज में 15,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, दिनांक 20.03.2025 कों 15,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनें पास खडी सुमन को गिननें के लिए देना, श्रीमति सुमन द्वारा गिन कर वापिस श्रीमति मीनाक्षी को देना, श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा रिश्वत राशि एक डायरी में रखना, जहां से रूबरू गवाहान रिश्वत राशि बरामद होना, श्रीमति मीनाक्षी चौधरी के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, श्रीमति मीनाक्षी चौधरी द्वारा 15000 रूपयें परिवादीया के भाई श्री विकास धायल से प्राप्त करनें के बाद रिलीविंग लेटर विकास धायल को सुपर्द करना जो दौरानें बरामदगी रूबरू गवाहान के कब्जा ब्यूरों लेना, श्रीमति सुमन के द्वारा रिश्वत राशि गिननें पर उसके भी दोनों हाथों का धोवन लेना ईत्यादि के आधार पर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। श्रीमति मीनाक्षी को ट्रेप के दौरान पूछताछ में उनके द्वारा यह बताया जाना कि उक्त रिश्वत राशि लेने हेतु श्रीमति अर्चना भगासरा प्रिसीपल व श्रीमति प्रियका गोदारा एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज की मालकिन द्वारा कहा गया है साथ ही मौके पर उपस्थित कॉलेज की कुछ अन्य छात्राओं नें भी कि प्रिसीपल व कॉलेज मालकिन के कहनें से टीचर हमारे से इन्टर्नशीप के लिए रिलीविंग लेटर देनें व उपस्थिति पूरी करनें के नाम पर अवैध राशि लेतें है। परन्तु उन छात्राओं नें अपना नाम बतानें व बयान देने से इन्कार कर दिया। रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान प्रिसीपल श्रीमति अर्चना भगासरा व श्रीमति प्रियका के उपस्थित नही होनें पर रूबरू अनुसंधान नही किया जा सका। अतः श्रीमति अर्चना भगासरा व श्रीमति प्रियका गोदारा कॉलेज मालकिन के विरूद्व अनुसंधान के दौरान उनकी सदिग्ध भूमिका के सम्बन्ध में अनुसंधान कर उनकी भूमिका के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। अतः इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (सुनीता कुमारी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर............कार्यवाही पुलिस.....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुनीता कुमारी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिता श्रीमती मीनाक्षी चौधरी पत्नि श्री ब्रजलाल भादू जाति जाट उम्र 46 साल निवासी मकान नम्बर 31, राजीव नगर, महामन्दिर जोधपुर हाल लेक्चरर एवं कक्षा अध्यापिका, एस.एल.बी.एस. बी.एड. कॉलेज जोधपुर

एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 300 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।क्रमांक 351–53 दिनांक 21.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/03/2025 20:

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)